''शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश'' (UP-TET) में आवेदन हेतु निर्देश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23.8.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 29.07.2011 द्वारा कक्षा–I से VIII तक के शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा आयोजित **''शिक्षक पात्रता परीक्षा'' (TET)** /केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित **"शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET)** उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

शिक्षक पात्रता परीक्षा –उत्तर प्रदेश'' (UP-TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि यह केवल पात्रता परीक्षा है। टी0ई0टी0 उत्तीर्ण करना किसी भी भर्ती/रोजगार के लिए अधिकार नहीं देता है, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए मात्र एक पात्रता है। शिक्षकों की नियुक्ति/चयन राज्य सरकार की संगत अध्यापक सेवा नियमावलियों तथा समय–समय पर जारी नियम–निर्देशों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

''शिक्षक पात्रता परीक्षा–उत्तर प्रदेश'' (UP-TET) के निम्नवत् स्तर होगें:–

- प्राथमिक स्तर **(कक्षा I-V)**
- भाषा शिक्षक पात्रता प्राथमिक स्तर
- उच्च प्राथमिक स्तर **(कक्षा VI-VIII)**
- भाषा शिक्षक पात्रता उच्च प्राथमिक स्तर

शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु ऑन लाइन आवेदन किया जाना है। ऑन लाइन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे।

शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर में से किसी एक स्तर की परीक्षा या दोनो स्तर की परीक्षाओं में तथा भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा में उर्दू/अंग्रेजी/संस्कृत में से किसी एक ही भाषा की प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है।

परीक्षा कार्यक्रम:–

1. परीक्षा दो दिन में होगी।
2. प्रथम दिन प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर तथा द्वितीय पाली में प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षक पात्रता की परीक्षा होगी।
3. दूसरे दिन प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर तथा द्वितीय पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षक पात्रता की परीक्षा होगी।

आवेदन हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता:–

1. ''शिक्षक पात्रता परीक्षा (*प्राथमिक स्तर कक्षा–1 से 5*)–उत्तर प्रदेश'' (UP-TET *Primary level class I- V*) में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता :–

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/ भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा में न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी) तथा

एन0सी0टी0ई0/भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.Ed.)।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्वता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय बी0टी0सी0, सी0टी0 (नर्सरी)/नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) (द्विवर्षीय) उत्तीर्ण

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग उपाधिधारक (उर्दू शिक्षक हेतु) उत्तीर्ण अथवा दिनांक 11.08.1997 के पूर्व के मोअल्लिम–ए–उर्दू उपाधिधारक (उर्दू शिक्षक हेतु)।

अथवा

चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (B.El.Ed.)।

2. ''शिक्षक पात्रता परीक्षा (*उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा–6 से 8*)–उत्तर प्रदेश'' (UP-TET Upper Primary level classVI- VIII) में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हताः–

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्वता प्राप्त संस्था से बी0टी0सी0।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त संस्था से 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एन0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा में स्नातक (बी0एड0) उत्तीर्ण/ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में बी0एड0 विशेष शिक्षा।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ इण्टरमीडिएट एवं एन0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त संस्था से चार वर्षीय बी0ए0/बी0एस0सी0एड0 या बी0ए0एड0/बी0एस0सी0एड0 ।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ इण्टरमीडिएट एवं चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (B.El.Ed.)।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/ भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा के न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी) एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एड0) जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

3 प्राथमिक स्तर (कक्षा –I-V) संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा पात्रता परीक्षा मे सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम योग्यता/अर्हता निम्नवत् होगी –

1. विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ अंग्रेजी अथवा संस्कृत विषय के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा में न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी)

तथा

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्वता प्राप्त संस्था से बी0टी0सी0 अथवा एन0सी0टी0ई0/भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.Ed.)।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्वता प्राप्त संस्था से सी0टी0 (नर्सरी)/नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) (द्विवर्षीय) उत्तीर्ण

4. उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा –VI-VIII) संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा पात्रता परीक्षा मे सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम योग्यता/अर्हता निम्नवत् होगी –

1. विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ अंग्रेजी अथवा संस्कृत विषय के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/ भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा में न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्वता प्राप्त संस्था से बी0टी0सी0/सी0टी0 (नर्सरी)

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त संस्था से 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और एन0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा में स्नातक (बी0एड0) उत्तीर्ण/ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में बी0एड0 विशेष शिक्षा।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एड0) जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर

जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

5. प्राथमिक स्तर (कक्षा –I-V) उर्दू भाषा पात्रता परीक्षा मे ंसम्मिलित होने के लिये न्यूनतम योग्यता/अर्हता निम्नवत् होगी –

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि, जिसमें एक विषय उर्दू हो अथवा उर्दू विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो।

तथा

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्वता प्राप्त संस्था से बी0टी0सी0।

अथवा

उत्तर प्रदेश में संचालित दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण।

अथवा

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग उपाधिधारक।

अथवा

दिनांक 11.08.1997 के पूर्व के मोअल्लिम–ए–उर्दू उपाधिधारक।

6. उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–VI-VIII) उर्दू भाषा पात्रता परीक्षा मे ंसम्मिलित होने के लिये न्यूनतम योग्यता/अर्हता निम्नवत् होगी –

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि, जिसमें एक विषय उर्दू हो अथवा उर्दू विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो।

तथा

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्वता प्राप्त संस्था से बी0टी0सी0।

अथवा

एन0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा में स्नातक (बी0एड0) उत्तीर्ण/भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में बी0एड0 विशेष शिक्षा।

अथवा

उत्तर प्रदेश में संचालित दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण।

अथवा

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग उपाधिधारक।

अथवा

दिनांक 11.08.1997 के पूर्व के मोअल्लिम–ए–उर्दू उपाधिधारक।

7. परीक्षा की अवधि तथा स्वरूप–

i. परीक्षा की अवधि ढ़ाई घण्टा अर्थात् कुल 150 मिनट होगी।

ii. सभी स्तर के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे।

iii. नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं होगा।

7.1 प्राथमिक स्तर (कक्षा I-V) का पाठ्यक्रमः– यह स्तर उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा I-V तक की कक्षाओं में शिक्षण करने हेतु पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं।

	प्रश्न पत्र की मौलिक संरचना	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
(i)	बाल विकास एवं अभिज्ञान	30	30
(ii)	भाषा 1 (हिन्दी)	30	30
(iii)	भाषा 2 (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत)	30	30
(iv)	गणित	30	30
(v)	पर्यावरणीय शिक्षा	30	30

पाठ्यक्रम संरचना

- 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के विकास तथा बाल मनोविज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
- भाषा 1 में हिन्दी भाषा से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जो कक्षा– I-V तक के बच्चों के शिक्षण हेतु आवश्यक हैं।
- भाषा–2 में अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू में से एक भाषा (जो अभ्यर्थी द्वारा चयनित की जायेगी) से सम्बन्धित सामान्य प्रश्न पूछे जायेंगे, प्रश्नों का कठिनाई स्तर तथा लिंकेज इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा।
- गणित एवं पर्यावरण विषय के ऐसे प्रश्न पूछे जायेगें, जो कक्षा–I-V तक के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे परन्तु प्रश्नों का कठिनाई स्तर तथा लिंकेज इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा।

7.2 उच्च प्राथमिक स्तर हेतु (कक्षा–VI-VIII) पाठ्यक्रमः– यह स्तर उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण करने हेतु पात्रता प्राप्त करना चाहते है। इसमें प्रश्नपत्र के 4 भाग होंगे, जिसमें प्रथम 3 भाग सभी के लिये अनिवार्य होंगे। चौथे भाग के प्रश्न विषय विशेष से संबंधित होंगे। गणित एवं विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को भाग (IV) 'क' के प्रश्न करने होंगे तथा अन्य सभी अभ्यर्थियों को भाग (IV) 'ख' के प्रश्न करने होंगे।

	प्रश्न पत्र की संरचना	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
(i)	बाल विकास एवं अभिज्ञान	30	30
(ii)	भाषा 1 (हिन्दी)	30	30
(iii)	भाषा 2 (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत)	30	30
(iv)	(क) गणित, तथा विज्ञान विषय	60	60
	अथवा		
	(ख) सामाजिक अध्ययन एवं अन्य समस्त विषय	60	60

पाठ्यक्रम संरचना

- बाल विकास तथा बाल मनोविज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
- भाषा–1 में हिन्दी विषय के ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जो कक्षा–VI-VIII तक के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे परन्तु प्रश्नों का कठिनाई स्तर तथा लिंकेज इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा।

• भाषा–2 के प्रश्नपत्र में अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू भाषा (जो अभ्यर्थी द्वारा चयनित की जायेगी) के सामान्य प्रश्न पूछे जायेंगे, प्रश्नों का कठिनाई स्तर तथा लिंकेज इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा।

• गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जो कक्षा–VI-VIII तक के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे परन्तु प्रश्नों का कठिनाई स्तर तथा लिंकेज इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा।

7.3 प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षक पात्रता हेतु पाठ्यक्रमः– भाषा शिक्षक पात्रता हेतु संबंधित भाषा में अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा ज्ञान तथा व्याकरण के साथ–साथ बाल विकास एवं अभिज्ञान के प्रश्न पूछे जायेगें।

	प्रश्न पत्र की मौलिक संरचना	**प्रश्नों की संख्या**	**पूर्णांक**
1-	बाल विकास एवं अभिज्ञान	30	30
2-	Comprehnsion (गद्य + पद्य)	30	30
3-	व्याकरण (परिभाषा, लिंग, मुहावरे, वचन तथा कविता पंक्तियों की पहचान	30	30
4-	भाषा अभिव्यक्ति (बहुविकल्पीय)	60	60

7.4 उच्च प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षक पात्रता हेतु पाठ्यक्रमः– भाषा शिक्षक पात्रता हेतु संबंधित भाषा में अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा ज्ञान तथा व्याकरण के साथ–साथ बाल विकास एवं अभिज्ञान के प्रश्न पूछे जायेगें।

	प्रश्न पत्र की मौलिक संरचना	**प्रश्नों की संख्या**	**पूर्णांक**
1-	बाल विकास एवं अभिज्ञान	30	30
2-	Comprehnsion (गद्य + पद्य)	30	30
3-	व्याकरण (परिभाषा, लिंग, मुहावरे, वचन तथा कविता पंक्तियों की पहचान	30	30
4-	भाषा अभिव्यक्ति (बहुविकल्पीय)	60	60

पाठ्यक्रम संरचना

• बाल विकास तथा बाल मनोविज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।

• ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जो कक्षा–**I-V** तथा VI-VIII तक के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे तथा इस स्तर पर भाषा शिक्षण हेतु आवश्यक होंगे, परन्तु प्रश्नों का कठिनाई स्तर तथा लिंकेज इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा।

8. परीक्षा शुल्क :– शिक्षक पात्रता परीक्षा –उत्तर प्रदेश'' (UP-TET) में प्रत्येक स्तर की परीक्षा में आवेदन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रु0 150/- होगा। अन्य अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु0 300/- होगा। शुल्क केवल ई–चालान के माध्यम से ही निर्दिष्ट बैंक में ए0टी0एम0/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/एस0बी0आई0 की भारत वर्ष में किसी बैंक शाखा में नकद/एस0बी0आई0 की इन्टरनेट बैंकिंग/ भारत वर्ष में स्थित किसी अन्य बैंक की इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जायेगा। किसी अन्य माध्यम से परीक्षा शुल्क स्वीकार नही किया जायेगा। जो

अभ्यर्थी एक से अधिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है, उसे प्रत्येक स्तर की परीक्षा प्राथमिक स्तर/उच्च प्राथमिक स्तर/भाषा शिक्षक पात्रता प्राथमिक स्तर तथा भाषा शिक्षक पात्रता उच्च प्राथमिक स्तर के लिये अलग–अलग उक्तवत् निर्धारित दर के अनुसार प्रति परीक्षा, परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। विकलांग अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क इस परीक्षा हेतु नहीं लिया जायेगा। जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में आवेदक को वापस नही किया जायेगा।

9. प्रमाण पत्र की वैधता :–

(i) परीक्षा संस्था द्वारा उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा। पात्रता प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का फोटो भी स्कैन कर मुद्रित कराया जायेगा। अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाता हैं/संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में आवेदन हेतु निर्धारित अर्हताधारी नहीं था अथवा उसके द्वारा किसी तथ्य का गोपन किया गया है अथवा कूट रचना की गयी हैं, तो उसका पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। परन्तु निरस्तीकरण का आदेश अभ्यर्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा, ।

(ii) जिस तिथि को परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा, उस तिथि में ही पात्रता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा और वही तिथि पात्रता प्रमाण पत्र निर्गमन की तिथि कही जायेगी। उक्त तिथि का उल्लेख प्रमाण पत्र पर होगा तथा पात्रता प्रमाण पत्र उसी तिथि से 05 वर्ष के लिए वैध रहेगा।

10 प्रवेश पत्र का प्रेषणः–

अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा से 15 दिन पूर्व परीक्षा संस्था की वेबसाइट (website) पर अपलोड कर दिए जायेंगे, जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड करेंगे। इस डाउन लोडेड प्रवेश पत्र के साथ ही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें। अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को निर्धारित परीक्षा केन्द्र से इतर परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने की अनुमति नही दी जायेगी।

11 उत्तीर्णांकः–

सफल अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत अथवा 90 अंक होगा, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/ भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों के लिए 05 प्रतिशत की छूट होगी और इनके लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत अथवा 83 अंक होगा।